

फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण - विकास सिंह वीर ब्रह्म
जाति साठ तहो साजत
अप्रार्थीगण - इशक सिंह पालि
जाति साठ तहो साजत

किस्म मुकदमा:- राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 RT Act, नंबर 44 / सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
02-07-2019	<p>वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 229 RT Act के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02-07-2019 को पेश हो।</p>	<p>442, 413 8/7/19</p>
02-07-2019	<p>जाफेवका याफेगोर उपस्थित जाफेवका याफेगोर ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 229 RT Act के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 02-07-2019 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला - पाली)</p>
14-08-2019	<p>जाफेवका याफेगोर उपस्थित जाफेवका याफेगोर ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 229 RT Act के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14-08-2019 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>
03-09-19	<p>अज श्रीमान पीकरील अधिकारी, मुहदय अन्य खजनीय कर्मों में अंतर है / अंमग पर है / अवकश ए है। अतः पेशी हलतवा होकर पत्रावली दिनांक 03/09/19 को पेश हो।</p>	<p>उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>

उप खण्ड अधिकारी, सोजत
खण्ड मजिस्ट्रेट

01/01/19

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 01/01/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

20/11/19

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 20/11/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

23/12/19

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 23/12/19 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

09/01/20

बकुलाय अनुपस्थित।
आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 09/01/20 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

30/01/20

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 30/01/20 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

25/4/20

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 25/4/20 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

29/4/20

बकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 29/4/20 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकुलब उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 26/12/21 को पेश हो।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

25/12/21

वकुलब उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 28/10/21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

26/8

28/10/21

श्री विवेकानंद प्रदीप उपा।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 27/10/21 को पेश हो।

AC Sojot

07/1/21

अखिलेश्वर प्रदीप उपा।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 10/1/21 को पेश हो।

500330

10/3/21

अखिलेश्वर प्रदीप उपा।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 26/1/21 को पेश हो।

500330

26/4/21

वकुलब उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 23/6/21 को पेश हो।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

03/06/21

यकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/ब्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 31/08/21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

रीडर

31/8/21

यकुलाय उपस्थित।
श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 16/11/21 को पेश हो।

रीडर

एस.डी.ओ./एस.डी.एम., सोजत

16/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के साथ अभियान में प्रेषित की जा रही है।
पत्रावली मुकरर तारीख के 2/12/21 को प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

21/11/21

यकुलाय उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/ब्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 29/12/21 को पेश हो।

रीडर

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

23/11/21

अधी. युवती उप।
अधी. युवती का पत्रावली में की पुनः पेश की जा रही है।
उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

18/12/21

अधी. युवती उप।
अधी. युवती का पत्रावली में की पुनः पेश की जा रही है।
उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

हकाय
नम की नम
जारी कर
अभिलेख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की तामिम में
जारी हुआ।

12.07.2022

अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 01 हेमकवर स्वयं उपस्थित। जबाब दरखास्त पेश नहीं करना चाहने से जबाब दरखास्त बन्द की गई। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सूनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक डिकी जारी कर प्रस्ताव बंटवाडा सरहद मीजा ग्राम शिवपुरा के खसरा नम्बर 989, 987, 999, 700, 700/1885 कुल खसरा 06 कुल रकबा 5.8200 हैक्टर भूमि का तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया था। जिसके आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा अंतिम डिकी जारी की गई। उक्त डिकी आदेश में हुई त्रुटि का विवरण इस प्रकार है-

वादिया द्वारा उक्त भूमि का वाद पेश किया गया था किन्तु वादिया की अनुपस्थिति में बिना मौके की जाँच किये मर्जी माफिक प्रस्ताव तैयार कर पेश कर दिया गया। प्रस्ताव बंटवाडा में खसरा नम्बर 996, 997, 998, 999 एवं 700 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.2000 हैक्टर की भूमि को सामलाती सभी खातेदारान की होना बताया गया है लेकिन न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश एवं अंतिम डिकी दिनांक 08.01.2016 में उक्त कृषि भूमि को कतई अंकित नहीं किया गया। राजस्व रेकर्ड में अंतिम डिकी अनुसार इन्हाज आज तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त कृषि भूमि का प्रस्ताव बंटवाडा पुनः मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय एवं डिकी पारित किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादी संख्या 3 कानाराम को पक्षकार बनाया गया था किन्तु उस समय उक्त कृषि भूमि के खातेदार कानाराम के स्थान पर जैबूनबानो एवं नैनीदेवी खातेदार थे जो वाद में कतई पक्षकार नहीं थे उन्हें वाद में पक्षकार बनाये बगैर प्रस्ताव बंटवाडा तैयार कर डिकी जारी की गई है। जो विधि अनुसार नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.01.2016 को अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः रिव्यु किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी व निर्णय व डिकी दिनांक 08.01.2016 से प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय मय डिकी पारित करने में तथ्य एवं विधिक त्रुटि रही है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पारित निर्णय एवं डिकी का पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी 08.01.2016 को अपास्त किया जाता है। तथा पुनः अभिलेख पर दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैशल शुकार होकर नम्बर से कम हो।



(Signature)
उपस्युद्ध अधिकारी,
सोजत (राज.)